रजिस्ट्री सं० डी०--(डी)--73

REGISTERED NO.D--(D)--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 35] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30, 1980 (भाद्रपद 8, 1902)

No. 35] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30, 1980 (BHADRA 8, 1902)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . 525

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 1103

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . —

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . 949

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . . —

भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयक संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . . —

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . 1899

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . 2986

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . *

भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . 9509

भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस . 451

भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं 57

भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल है . . 2627

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस 139

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई ।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1. Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	525
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1103
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	949
PART II—SECTION 1.—Act, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committee on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	9509
PART III—SECTION 2.—Notification and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	451
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	57
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2627
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	139

*Folio not received

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवत् नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 अगस्त 1980

सं० 69-प्रेज/80—राष्ट्रपति हरियाणा पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रंजीव सिंह दलाल,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जिला भिवानी,
हरियाणा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

14 मई, 1979 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री रंजीव सिंह दलाल को सूचना मिली कि सूरज भान उर्फ सुन्दा जिसकी लूटमार और डकैती के कई जघन्य मामलों में खोज थी, पिछली दुश्मनी के कारण दादरी के एक साधू को मारने के इरादे से, गोली चला कर उसे गंभीर रूप से घायल करके, बच कर भाग गया है। श्री दलाल ने भिवानी जिले की पुलिस को सचेत किया और स्वयं रिवाल्वर से लैस कान्स्टेबल (ड्राइवर) श्री मिन्तर सिंह और हैड कांस्टेबल श्री बाल किशोर के साथ अपनी पुलिस कार से दादरी के लिए रवाना हुए। शाम को लगभग 5.45 बजे, जब वे दादरी बस स्टैंड पर पहुंचे तो वे वहां बैठे कुछ व्यक्तियों का निरीक्षण करने के लिए रुके। उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए एक नवयुवक को देखा जिसने श्री दलाल को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। श्री दलाल को संदेह हुआ और उन्होंने नवयुवक से उसके नाम और निवास स्थान के बारे में पूछताछ की। किन्तु नवयुवक ने, जिसको बाद में कुख्यात सुन्दा के रूप में पहचान लिया गया, अपनी देशी पिस्तौल निकाली और श्री दलाल पर अत्यन्त निकट से गोली चला दी और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। यद्यपि उनके जख्म से काफी मात्रा में खून बह रहा था फिर भी श्री दलाल ने अपनी रिवाल्वर निकाल ली। किन्तु सुन्दा ने श्री दलाल का दाया हाथ जिसमें उन्होंने रिवाल्वर पकड़ा हुआ था, पकड़ लिया। कांस्टेबल श्री मिन्तर सिंह और हैड कांस्टेबल श्री बाल किशोर जो उस समय तक वहां पहुंच गये थे, सुन्दा को काबू में करने की कोशिश की और उससे संघर्ष किया। सुन्दा ने श्री दलाल का हाथ छोड़ दिया और अपनी देशी पिस्तौल से हैड कांस्टेबल बाल किशोर पर निशाना साधा और जब वह उन पर गोली चलाने ही वाला था कि श्री दलाल ने अपने साथियों एवं अपने को बचाने के लिए अभियुक्त पर एक के बाद एक चार गोलियां चलाईं सुन्दा नीचे गिर गया और कुछ देर बाद उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। यद्यपि श्री दलाल का काफी खून बह गया था फिर भी उनको अस्पताल ले जाने से पूर्व, पुलिस के पहुंचने तक उन्होंने अपराध के स्थान की चौकसी के लिए प्रबन्ध किया।

इस कार्रवाई में श्री रंजीत सिंह दलाल ने उत्कृष्ट वीरता, पहल शक्ति सूझबूझ एवं उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 मई, 1979 से दिया जाएगा।

सं० 70-प्रेज/80—राष्ट्रपति हरियाणा पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

अधिकारी के नाम तथा पद

श्री बाल किशोर,
हैड कांस्टेबल,
(अब पुलिस सहायक उप निरीक्षक),
जिला भिवानी,
हरियाणा।

श्री मितर सिंह,
कांस्टेबल नं० 586/भिवानी,
जिला भिवानी,
हरियाणा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया।

14 मई, 1979 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री रंजीव सिंह दलाल को सूचना मिली कि सूरज भान उर्फ सुन्दा जिसको लूटमार और डकैती के कई जघन्य मामलों में खोज थी, पिछली दुश्मनी के कारण दादरी के एक साधू को मारने के इरादे से गोली चला कर उसे गंभीर रूप से घायल करके बच कर भाग गया है। श्री दलाल ने भिवानी जिले की पुलिस को सचेत किया और स्वयं रिवाल्वर से लैस कांस्टेबल (ड्राइवर) श्री मितर सिंह और हैड कांस्टेबल श्री बाल किशोर के साथ अपनी पुलिस कार से दादरी के लिए रवाना हुए। शाम को लगभग 5.45 बजे जब वे दादरी बस स्टैंड पर पहुंचे तो वे वहां बैठे कुछ व्यक्तियों का निरीक्षण करने के लिए रुके। श्री दलाल ने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए एक नवयुवक को देखा जिसने श्री दलाल को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। श्री दलाल को संदेह हुआ और उन्होंने नवयुवक से उसके नाम और निवास स्थान के बारे में पूछताछ की। किन्तु नवयुवक ने जिसको बाद में कुख्यात सुन्दा के रूप में पहचान लिया गया, अपनी देशी पिस्तौल निकाली और श्री दलाल पर अत्यन्त निकट से गोली चला दी और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया यद्यपि उनके जख्म से काफी मात्रा में खून बह रहा था फिर भी श्री दलाल ने अपनी रिवाल्वर निकाल ली। किन्तु सुन्दा ने श्री दलाल का बांया हाथ जिसमें उन्होंने रिवाल्वर पकड़ा हुआ था पकड़ लिया। कांस्टेबल श्री मितर सिंह और हैड कांस्टेबल श्री बाल किशोर ने जो उस समय तक वहां पहुंच गये थे अपने जीवन को संकट में डालकर सुन्दा को काबू में करने की कोशिश की और उससे संघर्ष किया। सुन्दा ने श्री दलाल का हाथ छोड़ दिया और अपनी देशी पिस्तौल से हैड कांस्टेबल बाल किशोर पर निशाना साधा और जब वह उन पर गोली चलाने ही वाला था कि श्री दलाल ने अपने साथियों एवं स्वयं को बचाने के लिए अभियुक्त पर एक के बाद एक चार गोलियां चलाईं और सुन्दा को घटनास्थल पर ही धराशायी कर दिया।

इस कार्रवाई में सर्वश्री बाल किशोर और मितर सिंह ने असाधारण साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 14 मई, 1979 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति के उपसचिव

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई 1980

शुद्धि पत्र

सं० एफ० 4 (7) डब्ल्यू० एण्ड एम०/80—भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 19 मई 1980 की अधिसूचना संख्या एफ० 4 (7)—डब्ल्यू० एण्ड एम/80 में अधिसूचित बांडों की नामावली को "6 प्रतिशत बैंक (अर्जन और अन्तरण) बांड, 1990" तथा "7 प्रतिशत बैंक (अर्जन और अन्तरण) बांड, 2010" पढ़ा जाना चाहिए; तथा पैराग्राफ 1 में शब्द "मुआवजे" के स्थान पर "रकम" शब्द पढ़ा जाना चाहिए।

मंगल दास पाल, निदेशक

उद्योग मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त 1980

संकल्प

(इस्पात की ढली वस्तु उद्योग के लिए सामिका का गठन)

सं० 13026 (2)/79-ई० आई० एम०—मशीन निर्माण परिवहन उपकरण आदि के लिए मूल उद्योग के रूप में इस्पात की ढली वस्तु उद्योग के बढ़ते हुए महत्व और भूमिका को ध्यान में रखते हुए और मांग, क्षमता, प्रौद्योगिकी के स्तर को विस्तार से निरन्तर समीक्षा करने और इस क्षेत्र में किए गए विभिन्न प्रयासों में परस्पर सम्बंध स्थापित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा जाता है कि उद्योग की समस्याओं की एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए। तदनुसार, सरकार ने इस्पात की ढली वस्तु उद्योग लिए एक सामिका गठित करने का निर्णय किया है।

2. इस सामिका में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. श्री हरी भूषण, अध्यक्ष
सलाहकार (तकनीकी) और
पदेन संयुक्त सचिव,
भारी उद्योग विभाग

2. श्री एम० सी० हींगरा, सदस्य
संयुक्त सलाहकार,
योजना आयोग,
नई दिल्ली

3. श्री ओ० पी० तांतिया, सदस्य
निदेशक,
मै० भारतीय इलेक्ट्रिक स्टील कम्पनी लिमिटेड,
8, अनिल मैत्रा रोड,
कलकत्ता-700 019

4. श्री राम कृष्णन, सदस्य
द्वारा मै० रामकृष्णन स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड,
करामादाई पोस्ट,
कोयम्बतूर-641104 (तमिलनाडु)

5. श्री के० एफ० तम्बोली, सदस्य
प्रबंध-निदेशक,
मै० स्टील कास्ट भावनगर (प्रा०) लिमिटेड,
सवापारी रोड,
भावनगर-364004
गुजरात

6 महाप्रबंधक, सदस्य
सैन्ट्रल फाउन्ड्री फोर्ज प्रोजेक्ट,
मै० बी० एच० ई० एल०, रानीपुर,
हरिद्वार (उत्तर प्रदेश)

7. अध्यक्ष, सदस्य
एसोसिएशन आफ इण्डियन इंजी० इण्डस्ट्री,
(फोर्ज डिवीजन)
मैग्नेट हाउस, 6, चितरंजन एवेन्यू,
कलकत्ता

8. श्री बी० एम० पेन्डसे, सदस्य
उप-महाप्रबंधक,
म० मुकन्द आयरन एण्ड स्टील वर्क्स लिमिटेड,
लाल बहादुर शास्त्री मार्ग,
कुर्ला,
बंबई-400 070

9 श्री टी० सी० वर्मा, सदस्य
महाप्रबंधक,
फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट,
मै० हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड,

10. श्री टी० आर० मोहन राव, सदस्य-
विकास अधिकारी, सचिव
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
नई दिल्ली।

3. सामिका 8 विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) उद्योग के विकास की वर्तमान स्थिति के बारे में विचार करना और इसके त्वरित विकास के उपायों के बारे में सिफारिश करना ;

(ख) प्रौद्योगिकी और क्वालिटी के उन्नयन सहित भावी प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पूर्वानुमान करना;

(ग) इस बात की जांच करना कि मानकीकरण कहां तक प्राप्त कर लिया गया है और भावी मानकीकरण के लिए आई० एस० आई० के परामर्श से विशिष्ट कार्यक्रम विकसित करना;

(घ) सामग्री और ऊर्जा परिरक्षण पहलुओं के मापदण्डों पर विचार करना;

(ङ) विभिन्न उद्योगों के लिए राज्यवार/क्षेत्रवार आवश्यकताओं का अध्ययन करना और आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक क्षमताएं पैदा करने के लिए सुझाव देना;

(च) आधुनिकीकरण, और

(छ) कोई अन्य विषय जिसे उचित समझा जायेगा।

4. सलाहकार नामिका की स्थिति की समीक्षा करने के लिए छः महीनों में एक बार और यदि आवश्यकता हुई, तो बारम्बार ऐसे स्थान पर बैठक होगी जिसका निश्चय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। यह नामिका इसके द्वारा लिए गए मामलों के बारे में भारत सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देगी।

5. नामिका का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

संकल्प

इस्पात की गढ़ी वस्तु उद्योग के लिए नामिका का गठन

सं० 13026 (2)/79-ई० आई० एम०—मशीन निर्माण, परिवहन उपकरण आदि के लिए मूल उद्योग के रूप में इस्पात की गढ़ी वस्तु उद्योग के बढ़ते हुए महत्व और भूमिका को ध्यान में रखते हुए और मांग, क्षमता, प्रौद्योगिकी के स्तर की विस्तार से निरन्तर समीक्षा करने और इस क्षेत्र में किए गए विभिन्न प्रयासों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा जाता है कि उद्योग की समस्याओं की एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए। तदनुसार, सरकार ने इस्पात की गढ़ी वस्तु उद्योग के लिए एक नामिका गठित करने का निर्णय किया है।

2. इस नामिका में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. श्री हरी भूषण, अध्यक्ष
सलाहकार (तकनीकी) और
पदेन संयुक्त सचिव,
भारी उद्योग विभाग

2. श्री एस० आर० टाटा, सदस्य
औद्योगिक सलाहकार,
इस्पात विभाग
नई दिल्ली

3. श्री एस० सी० ढींगरा, सदस्य
संयुक्त सलाहकार,
योजना आयोग,
नई दिल्ली

4. श्रीमती वी० निर्मल, सदस्य
उप-सचिव,
रक्षा मंत्रालय,
रक्षा उत्पादन विभाग

5. श्री बाबा एम० कल्याण, सदस्य
महाप्रबन्धक,
मैं० भारत फोर्ज कं० लिमिटेड,
पुणे।

6. श्री बी० एल० एन० राव, सदस्य
मैं० भार्डलो इण्डिया लिमिटेड,
हुजूर गार्डन,
मद्रास-600 011

7. श्री के० पी० टंडन, सदस्य
उप महाप्रबन्धक,
फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट,
मैं० हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड,
पोस्ट—धुर्वा,
रांची-834004

8. श्री योगराज मक्कड़, सदस्य
अध्यक्ष,
एसोसिएशन आफ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आफ
इण्डियन ड्राप फोर्जिंग एण्ड स्टैम्पिंग इण्डस्ट्रीज,
80, डा० एसी बसन्त रोड,
वर्ली,
बम्बई-400 018

9. डा० आर० शरण, सदस्य
ढलाई प्रौद्योगिकी विभाग के अध्यक्ष,
राष्ट्रीय फाउन्ड्री फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान,
रांची (बिहार)

10. श्री एस० के० जैन, सदस्य-
विकास अधिकारी सचिव
तकनीकी विकास महानिदेशालय,
नई दिल्ली।

3. नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(क) उद्योग के विकास की वर्तमान स्थिति के बारे में विचार करना और इसके त्वरित विकास के उपायों के बारे में सिफारिश करना;

(ख) प्रौद्योगिकी और क्वालिटी के उन्नयन सहित भावी प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पूर्वानुमान करना;

(ग) इस बात की जांच करना कि मानकीकरण कहां तक प्राप्त कर लिया गया है और भावी मानकीकरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम विकसित करना;

(घ) सामग्री और ऊर्जा परिरक्षण पहलुओं मापदण्डों पर विचार करना;

(ङ) विभिन्न उद्योगों के लिए राज्यवार/क्षेत्रवार आवश्यकताओं का अध्ययन करना और आने वाले वर्षों में बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक क्षमताएं पैदा करने के लिए सुझाव देना;

(च) आधुनिकीकरण; और

(छ) कोई अन्य विषय, जिसे उचित समझा जायेगा।

4. इस सलाहकार नामिका की स्थिति की समीक्षा करने के लिए छः महीनों में एक बार और यदि आवश्यकता हुई तो बारम्बार ऐसे स्थानों पर बैठक होगी जिनका निश्चय अध्यक्ष द्वारा किया जायगा। यह नामिका इसके द्वारा लिए गए मामलों के बारे में भारत सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देगी।

5. नामिका का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

के० सी० पंजवाल, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 23rd August 1980

No. 69-Pres/80.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Haryana Police :—

Name and rank of the officer

Shri Ranjiv Singh Dalal,
Senior Superintendent of Police,
Bhiwani District,
Haryana.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 14th May, 1979, Shri Ranjiv Singh Dalal, Senior Superintendent of Police, received information that one Suraj Bhan alias Sunda who was wanted in several heinous cases of robbery and dacoity had escaped after firing at and seriously injuring one Sadhu of Dadri with the intention ot killing him because of previous enmity. After alerting Bhiwani District Police Shri Dalal, armed with his service revolver, and accompanied by Shri Minter Singh, Constable (Driver) and Shri Bal Kishore, Head Constable left for Dadri in his police car. At about 5.45 P.M. when he reached Dadri Bus Stand, he stopped to check some persons who were sitting there. He saw a youngman sitting under a "pipal" tree who, on seeing Shri Dalal, turned his face towards the other side. Shri Dalal got suspicious and enquired about the name and residence of the youngman. But the youngman, who was, later on, identified as notorious Sunda, took out a country-made pistol and fired at Shri Dalal at almost point blank range injuring him greviously. Though he was bleeding profusely Shri Dalal took out his revolver, but Sunda caught hold of his hand in which he was holding the revolver. Shri Minter Singh, Constable and Shri Bal Kishore, Head Constable, who had by then come near Shri Dalal tried to overpower Sunda and grappled with him. Sunda left Shri Dalal's hand and aimed his country-made pistol at Head Constable Bal Kishore and was about to fire at him when Shri Dalal Fired four shots one after another at the accused to save his companions and himself Sunda fell down and died shortly afterwards on the spot. Even though Shri Dalal had lost lot of blood, he remained in full control of the situation and made arrangements for guarding the scene of the crime till the arrival of the police when he was taken to the hopsital.

In this encounter Shri Ranjiv Singh Dalal exhibited conspicuous gallantry, initiative, presence of mind and devotion to duty of a very high order.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Presidents Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th May, 1979.

No. 70-Pres./80.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Haryana Police :—

Names and ranks of the Officers

Shri Bal Kishore,
Head Constable,
(Now Assistant Sub Inspector of Police),
District Bhiwani,
Haryana.

Shri Minter Singh,
Constable No. 586/Bhiwani,
District Bhiwani,
Haryana.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 14th May, 1979, Shri Ranjiv Singh Dalal, Senior Superintendent of Police received information that one Suraj Bhan alias Sunda who was wanted in several heinous cases of robbery and dacoity had escaped after firing at and seriously injuring one Sadhu of Dadri with the intention ot killing him because of previous enmity. After alerting Bhiwani District Police, Shri Dalal armed with his service revolver and accompanied by Shri Minter Singh, Constable (Driver) and Shri Bal Kishore, Head Constable left for Dadri in his police car. At about 5.45 p.m. when they reached Dadri Bus Stand and stopped to check some persons who were sitting there. Shri Dalal saw a youngman sitting under a "pipal" tree who on seeing Shri Dalal turned his face towards the other side. Shri Dalal got suspicious and enquired about the name and residence of the youngman. But the youngman, who was, later on, identified as notorious Sunda, took out a country-made pistol and fired at Shri Dalal injuring him greviously. Though he was bleeding profusely, Shri Dalal took out his revolver, but Sunda caught hold of his hand in which he was holding the revolver. Shri Minter Singh, Constable and Shri Bal Kishore, Head Constable, who had by then come near Shri Dalal tried to overpower Sunda and grappled with him at the risk to their lives. Sunda left Shri Dalal's hand and aimed his country-made pistol at Head Constable Bal Kishore and was about to fire at him when Shri Dalal fired four shots one after another at the accused to save his companions and himself and killed Sunda on the spot.

In this action S/Shri Bal Kishore and Minter Singh exhibited exceptional courage and devotion to duty of a very high order.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 14th May, 1979.

S. NILAKANTAN
Deputy Secretary to the President.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 25th July 1980

CORRIGENDUM

No. F. 4(7)-W&M/80.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F.4(7)-W&M/80, dated the 19th May, 1980, the nomenclature of the bonds notified should be read as "6 per cent Banks (Acquisition and Transfer) Bonds, 1990' and "7 per cent Banks (Acquisition and Transfer) Bonds, 2010"; and the word "compensation" in paragraph 1 substituted by the word "amount".

M. D. Pal, Director

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 1st August 1980

RESOLUTION

Constitution of a panel for the Steel Casting Industry

No. 13026(2)/79-EIM.—In view of the growing importance and the role of Steel Casting Industry as a basic industry for machine building, transportation equipment etc. and in view of the need for a constant review of demand, capacity, technology level in greater details and for correlating efforts made in that field, it is considered necessary that the various efforts made in that field, it is considered necessary that the problems of the industry should be kept under constant review by an expert advisory body. Government have accordingly decided to constitute a panel for Steel Casting Industry :

2. The Panel will consist of :—

Chairman

(i) Shri Hari Bhushan, Deptt. H. I.
Adviser (Technical)
and Ex-Officio
Jt. Secretary.

Members

(ii) Sh. S. C. Dhingra, Planning Commission
Joint Adviser.

(iii) Sh. O. P. Tantia, Director
M/s. Bhartia Electric Steel
Company Ltd., 8, Anil Maitra Road,
Calcutta—700019.

(iv) Sh. Rama Krishanan,
C/o M/s. Ramakrishanan Steel
Industries Limited,
Karamadai Post,
Coimbatore—641104 (TAMIL NADU)

(v) Sh. K. F. Tamboli, Managing Director
M/s. Steel Cast Bhavnagar (P) Ltd.,
Ruvapari Road, Bhavanagar—364004,
GUJARAT.

(vi) General Manager,
Central Foundary Forge Project,
M/s. BHEL, Ranipur, Haridwar (UP).

(vii) Chairman, Association of Indian Engg. Industry
(Forge Division), Manget House, 6—Chitranjan
Avenue CALCUTTA.

(viii) Shri B. S. Pendse,
Dy. General Manager,
M/s. Mukand Iron & Steel Works Ltd.,
Lal Bahadur Shastri Marg, Kurla,
BOMBAY-400 070.

(ix) Shri T. C. Verma,
General Manager,
Foundary Forge Plant,
M/s. Heavy Engg. Corpn. Ltd.,
P.O. Dhurwa, Ranchi.

Secretary

(x) Shri T. R. Mohan Rao,
Development Officer,
D. G. T. D., New Delhi.

3. The terms and reference of the Panel are—

(a) To consider the present stage of development of industry, and to recommend measures for its accelerated growth;

(b) Forecasting of future technological needs including technology and quality upgradation;

(c) To examine the extent of which standardisation has been achieved and evolve specific programme for further standardisation in consultation with ISI;

(d) To consider norms of materials and energy conservation aspects;

(e) To study the statewise/region-wise requirements for various industries and suggestions for creation of further capacities to meet the growing needs of future years to come;

(f) Modernisation; and

(g) Any other point deemed fit.

4. This Advisory panel will meet to review the position once in six months and more frequently if occasion warrants at such places as may be decided by the Chairman. It will submit periodical reports to the Government of India about the matter handled by it.

5. The terms of the Panel will be two years.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India.

RESOLUTION

(Constitution of a Panel for the Steel Forgings Industry)

No. 13026(2)/79-FIM.—In view of the growing importance and the role of Steel Forgings Industry as basic industry for machine buildings, transportation equipment etc. and in view of the need for a constant review of demand, capacity, technology level in greater detail and for correlating various efforts made in that field, it is considered necessary that the problems of the industry should be kept under constant review by an expert advisory body. Government have accordingly decided to constitute a Panel for the Steel Forgings Industry.

2. The Panel will consist of :—

Chairman

(i) Shri Hari Bhushan,
Adv. (Tech.) & Ex-Officio,
Joint Secretary,
Deptt. of Heavy Industry.

Members

(ii) Shri S. R. Tata,
Industrial Adviser,
Deptt. of Steel,
New Delhi.

(iii) Shri S. C. Dhingra,
Joint Adviser,
Planning Commission, New Delhi

(iv) Mrs. B. Nirmal,
Dy. Secretary,
Ministry of Defence,
Deptt. of Defence Production.

(v) Shri Baba N. Kalyani,
General Manager,
M/s. Bharat Forge Co. Ltd., Pune.

(vi) Shri B. L. N. Rao,
M/s. Shardlow India Ltd.
Hazur Gardens, Madras-600 011.

(vii) Shri K. P. Tandon,
Dy. General Manager,
Foundary Forge Plant,
M/s. Heavy Engg. Corpn. Ltd.,
Post Dhurwa, Ranchi-834 004.
Bihar.

(viii) Shri Yograj Makker,

President, Association of
Manufacturers,
Association of Indian Drop
Forging & Stamping Industries,
80-Dr. Annie Besant Road, Worli,
Bombay-400 018.

(ix) Dr. R. Sharan,
Head of Deptt. of Forge Technology,
National Institute of Foundry,
Forge Technology, Ranchi (Bihar).

Secretary

(x) Shri S. K. Jain,
Development Officer,
D. G. T. D., New Delhi.

3. The terms and reference of the Panel are :—

(a) To consider the present stage of development of the industry and to recommend measures for its accelerated growth;

(b) Forecasting of future technological needs including technology and quality upgradation;

(c) To examine the extent to which standardisation has been achieved and evolve specific programmes for further standardisation;

(d) To consider norms of materials and energy conservation aspects;

(e) To study the statewise/regionwise requirements for various industries and suggestions for creation of further capacities to meet the growing needs of future years to come;

(f) Modernisation; and

(g) Any other point, deemed fit.

4. This advisory Panel will meet to review the position once in six months and more frequently, if occasion warrants, at such places as may be decided by the Chairman. It will submit periodical reports to the Government of India about the matters handled by it.

5. The terms of the Panel will be two years.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India.

K. C. GANJWAL, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1980